



2026:AHC:44042

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2993, वर्ष 2026

जितेन्द्र सिंहयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आर्या गौतम, अतिप्रिया गौतम, जय विश्वनाथ पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. सुश्री आर्या गौतम द्वारा सहायता प्राप्त याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजय गौतम एवं राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।
2. श्री आर.एस. उमराव ने न्यायालय के समक्ष बयान दिया है कि वे कोई शपथ पत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं और रिट याचिका का निस्तारण रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
3. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका का निस्तारण नए चरण पर ही किया जा रहा है।
4. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 13.01.2011 को कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था, हालांकि, याचिकाकर्ता को इस आरोप के साथ चार्जशीट दी गई थी कि कांस्टेबल के पद पर तैनाती के दौरान वह 06.04.2021 से 7 दिनों की अवधि के लिए बिना अनुमति के अनधिकृत रूप

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से अनुपस्थित था। आरोपों से इनकार करने के बाद, जांच अधिकारी नियुक्त किया गया जिसने जांच की और 31.03.2022 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 'उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991' के नियम 4(1)(a) के तहत दण्ड लगाने की सिफारिश की गई। एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका याचिकाकर्ता ने जवाब दिया और तत्पश्चात, 05.12.2022 को याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने अपील दायर की जिसे अपीलीय प्राधिकारी ने 18.08.2023 को खारिज कर दिया। एक पुनरीक्षण भी दायर किया गया था जिसे पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा 23.12.2025 को खारिज कर दिया गया।

5. वर्तमान रिट याचिका, पुलिस अधीक्षक हमीरपुर (प्रतिवादी संख्या 4) द्वारा पारित बर्खास्तगी आदेश दिनांक 05.12.2022, पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा (प्रतिवादी संख्या 3) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 18.08.2023 और एडीजी प्रयागराज जोन (प्रतिवादी संख्या 3) द्वारा पारित पुनरीक्षण आदेश दिनांक 23.12.2025 को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है।
6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आक्षेपित आदेश इस साधारण कारण से कायम नहीं रखा जा सकता कि दण्ड का प्रस्ताव करना जांच अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, और वह भी यह निर्दिष्ट करना कि दण्ड अनुशासनात्मक प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद प्रभावी होगा। तर्क यह है कि यह कार्य अनुशासनात्मक प्राधिकारी को सौंपा गया है, जिसे नियमों के अनुसार आरोपों की गंभीरता (लघु या दीर्घ) को देखते हुए दण्ड आदेश पारित करना होता है। यह भी तर्क दिया गया है कि जांच अधिकारी को सौंपा गया एकमात्र कार्य चार्जशीट में लगाए गए आरोपों के आधार पर जांच करना और यह निष्कर्ष दर्ज करना था कि वे सिद्ध होते हैं या नहीं। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 'स्टेट ऑफ उत्तरांचल बनाम खड़क सिंह (2008) 8 SCC 426' के साथ-साथ इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा रिट-ए संख्या 19952 वर्ष 2019, 'मोहम्मद मियां बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' (दिनांक 21.08.2025 को निर्णित) में पारित आदेश पर भरोसा जताया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आक्षेपित आदेशों को रद्द किया जाए और मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से कार्यवाही हेतु प्राधिकारी को वापस भेजा जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव का तर्क है कि जांच की कार्यवाही नियमों के अनुसार की गई है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। उनका कहना है कि याचिकाकर्ता को जांच कार्यवाही में भाग लेने का उचित अवसर दिया गया था और जांच अधिकारी ने आरोपों को सिद्ध पाकर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी; हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि दण्ड का प्रस्ताव करना जांच अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
8. मैंने अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों को सुना है और रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।
9. स्पष्ट रूप से, याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था। एक प्रारंभिक जांच के बाद नियमित जांच बिठाई गई और 31.03.2022 को जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें याचिकाकर्ता/अपचारी कर्मचारी को दोषी ठहराते हुए निम्नानुसार टिप्पणी की गई:-
"अतः विपक्षी आरक्षी संख्या 112342050 जितेन्द्र सिंह को दिनांक 05.04.2021 से सात दिन बिना अनुमति के अनुपस्थित पाए जाने संबंधी कदाचार हेतु (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-4(1) क के उपखंड-एक के अन्तर्गत सेवाच्युत करने की संस्तुति की जाती है और तदनुसार उक्त सजा अनुशासनिक प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के उपरान्त प्रभावी होगी।"
10. अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच रिपोर्ट के आधार पर, उससे सहमत होते हुए 05.12.2022 को याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया, जिसके विरुद्ध अपील की गई जो 18.08.2023 को खारिज हो गई और उसके बाद 23.12.2025 को पुनरीक्षण भी खारिज कर दिया गया। वस्तुतः, याचिकाकर्ता की सेवाएं 'उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991' के प्रावधानों के तहत शासित होती हैं। नियम 14 निम्नानुसार है:-
"14(1) विभागीय कार्यवाही संचालित करने की प्रक्रिया- (1) इन नियमों में निहित प्रावधानों के अधीन, नियम 5 के उप-नियम (1) में संदर्भित पुलिस अधिकारियों के मामले में विभागीय कार्यवाही परिशिष्ट-1 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जा सकती है।"
11. परिशिष्ट-1 पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन से संबंधित प्रक्रिया के बारे में है, जो निम्नानुसार है:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"परिशिष्ट-1

पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन से संबंधित प्रक्रिया

औपचारिक जांच शुरू होने पर, जिस पुलिस अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू की गई है, उसे उन आधारों के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाएगा जिन पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव है और उसे अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाएगा। जिन आधारों पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव है, उन्हें इन नियमों के साथ संलग्न फॉर्म-1 में एक निश्चित आरोप या आरोपों के रूप में उपयोग किया जाएगा, जिसे आरोपित पुलिस अधिकारी को सूचित किया जाएगा और जो इतना स्पष्ट और सटीक होगा कि आरोपित पुलिस अधिकारी को उसके खिलाफ तथ्यों और परिस्थितियों का पर्याप्त संकेत मिल सके। उसे एक उचित समय के भीतर अपने बचाव का लिखित विवरण प्रस्तुत करने और यह बताने की आवश्यकता होगी कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से सुना जाना चाहता है। यदि वह ऐसा चाहता है, या यदि जांच अधिकारी ऐसा निर्देश देता है, तो उन आरोपों के संबंध में मौखिक जांच की जाएगी जो स्वीकार नहीं किए गए हैं। उस जांच में ऐसे मौखिक साक्ष्य दर्ज किए जाएंगे जिन्हें जांच अधिकारी आवश्यक समझे। आरोपित पुलिस अधिकारी गवाहों से जिरह करने, व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य देने और अपनी इच्छानुसार गवाहों को बुलाने का हकदार होगा:

बशर्ते कि जांच अधिकारी, लिखित में दर्ज किए जाने वाले पर्याप्त कारणों से, किसी गवाह को बुलाने से इनकार कर सकता है। कार्यवाही में साक्ष्य का पर्याप्त रिकॉर्ड और निष्कर्षों का विवरण तथा उसके आधार शामिल होंगे। जांच अधिकारी इन कार्यवाहियों से अलग आरोपित पुलिस अधिकारी पर लगाए जाने वाले दण्ड के संबंध में अपनी सिफारिश भी दे सकता है।"

12. जांच रिपोर्ट के सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि जांच अधिकारी ने अपचारी कर्मचारी के खिलाफ आरोपों को साबित करने के उत्साह में दण्ड का प्रस्ताव देकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है, वह भी 1991 के नियमों के तहत निहित विशिष्ट प्रावधानों, यानी नियम 4(1)(क)(i) का उल्लेख करके। निश्चित रूप से, जांच अधिकारी को सौंपा गया कार्य जांच कार्यवाही संचालित करना है और यह निष्कर्ष दर्ज करना है कि अपचारी कर्मचारी के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए हैं या नहीं; और यह अनुशासनिक प्राधिकारी का विशेषाधिकार और क्षेत्राधिकार है कि वह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नियमों में प्रदान किए गए विभिन्न दण्डों में से विवेक का प्रयोग करते हुए दण्ड आदेश पारित करे। 'स्टेट ऑफ उत्तरांचल बनाम खड़क सिंह (उपरोक्त)' में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है:-

"18. ... हालांकि जांच अधिकारी द्वारा विचार व्यक्त करने पर कोई विशिष्ट रोक नहीं है, लेकिन विचाराधीन मामले में, जांच अधिकारी ने यह कहकर अपनी सीमा लांघ दी कि अधिकारी को सरकारी सेवा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उसे तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए।"

13. इसके अलावा, 'मोहम्मद मियां (उपरोक्त)' में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने टिप्पणी की है:-

"14. यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि जब कानून किसी कार्य को एक विशेष तरीके से करने का प्रावधान करता है, तो उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए (कृष्णा राय बनाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं अन्य (2022) 8 SCC 713)। 15. मामले के उक्त परिप्रेक्ष्य में, जांच अधिकारी द्वारा सेवा से बर्खास्तगी के प्रस्तावित दण्ड की सिफारिश और 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत पर वेतन से इनकार को मंजूरी नहीं दी जा सकती। रिपोर्ट रद्द किए जाने योग्य है और याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी का परिणामी आदेश, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश और पुनरीक्षण में बैठे प्राधिकारी का आदेश भी रद्द किए जाने योग्य है।"

14. चूंकि उक्त विसंगति मामले की जड़ तक जाती है, जो पूरी कार्यवाही को दूषित कर देती है, इसलिए न्यायालय की राय में, जांच अधिकारी के लिए इस संबंध में दण्ड का प्रस्ताव करना न्यायोचित या उचित नहीं है।

15. अतः रिट याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है। दिनांक 05.12.2022, 18.08.2023 और 23.12.2025 के आदेश एतद्वारा रद्द किए जाते हैं।

16. मामले को अनुशासनिक प्राधिकारी को इस निर्देश के साथ वापस भेजा जाता है कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के दो सप्ताह के भीतर, पूर्व में जांच करने वाले अधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त कर मामले की नए सिरे से जांच

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिपोर्ट प्राप्त की जाए। याचिकाकर्ता जांच में प्रतिभाग करेगा। जांच याचिकाकर्ता द्वारा पहले से प्रस्तुत किए गए जवाब के चरण से शुरू होगी और जांच अधिकारी की नियुक्ति की तिथि से अधिकतम दो महीने की अवधि के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। तत्पश्चात, अनुशासनिक प्राधिकारी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में एक महीने की अतिरिक्त अवधि के भीतर मामले में उचित निर्णय लेने हेतु कार्यवाही करेंगे। इस बीच, याचिकाकर्ता की स्थिति वही बनी रहेगी जो अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दण्ड का आदेश पारित करने के समय थी।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

फरवरी 26, 2026

राजेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।